

चेकलिस्ट क्र.-07

FORM-IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे :-	
	1. उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है -	आवेदक संस्थान उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (ईण्डिया) लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत दक्षिण बोरतलाव वन परिक्षेत्र के आरक्षित एवं संरक्षित वनकक्ष क्रमांक 566, पी-490ए,बी, एवं पी-569 का रकबा 4.687 हे. एवं 0.516 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 5.203 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ. सी. लाईन बिछाने का कार्य।
	2. अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रज्ञपत किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो) -	RF & PF वन - 4.687 राजस्व वनभूमि- 0.516 कुल 5.203 हेक्टर।
	3. परियोजना की कुल लागत -	1446.89 करोड़
	4. परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनको दर्शाते हुए और नामजूर करने के कारण बताए जाऐ -	अन्य उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) भूमि का आवश्यकता है।
	5. वित्तीय तथा सामाजिक लाभ -	जन कल्याण एवं केन्द्रीय राजस्व में वृद्धि
	6. कुल लाभान्वित होने वाली आबादी -	सम्पूर्ण भारत
	7. सृजित रोजगार	आवश्यकता अनुसार
2	परियोजना स्कीम का स्थान :-	दक्षिण बोरतलाव
	1. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश -	छत्तीसगढ़
	2. जिला -	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
	3. वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट, राजस्व वनभूमि -	वनकक्ष क्रमांक RF-566, P-490A,B, P-569 राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ के जंगल) खसरा क्र. 5, 9, 180, 3, 266, 75,120/1, 127, 190/6, 454ए 451, 987, 953, 822
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा -	RF & PF वन - 4.687 राजस्व वनभूमि- 0.516 कुल 5.203 हेक्टर।
4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा -	
	1. वन की वैधानिक स्थिति (नामत: आरक्षित/ सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) -	RF & PF वन - 4.687 राजस्व वनभूमि- 0.516 कुल 5.203 हेक्टर।
	2. क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का	संलग्न है।

	ब्यौरा	
	3. वनस्पति की सघनता	
	4. वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार	1292 वृक्षों का विदोहन होना है। विदोहन योजना चेकलिस्ट क्र.-12 में संलग्न है।
	5. भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं	नहीं है।
	6. क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें)	नहीं है।
	7. विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना/स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा	18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य हेतु 5.203 हेक्टेयर भूमि का उपयोग की जानी है।
	8. क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियाँ	नहीं पाया जाता है।
	9. क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है	आवश्यक नहीं है।
	10. प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	आवश्यक नहीं है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा—	आवश्यक नहीं है।
	1. विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	आवश्यक नहीं है।
	2. विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	आवश्यक नहीं है।
	3. विस्तृत पुनर्वास योजना	आवश्यक नहीं है।
6	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे —	
	1. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार	क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये रायपुर वनमंडल अंतर्गत ग्राम भलेरा प. ह.नं. 62 रा.नि. व तह. आरंग जिला रायपुर के खसरा नंबर 926 का रकबा 32.130 हे. शासकीय राजस्व भूमि में से 18.000 हे. प्रस्तावित की जा रही है।
	2. क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र	संलग्न है।
	3. रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढांचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम	संलग्न है।
	4. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	11424231.00

	5. वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता. किये जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो)	संलग्न है।
	6. क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र	आवश्यक नहीं है।
	7. पारिषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल पारिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये	आवश्यक नहीं है।
	1. पारिषण लाईन की कुल लम्बाई	नहीं है।
	2. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई	नहीं है।
	3. मार्ग का अधिकार	नहीं है।
	4. निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या	नहीं है।
	7. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या	नहीं है।
	8. पारिषण टावरों की ऊंचाई	नहीं है।
	7. सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए -	नहीं है।
	1. कुल आवाह क्षेत्र	नहीं है।
	2. कुल कमानु क्षेत्र	नहीं है।
	3. कुल जलाशय स्तर	नहीं है।
	4. उच्च बाढ़ स्तर	नहीं है।
	5. न्यूनतम प्राप्ति स्तर	नहीं है।
	6. परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागृह भूमि, मावन आबादी तथा अन्य)	नहीं है।
	7. उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
	8. पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
	9. पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
	10. पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	नहीं है।
	11. न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
	12. विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना	नहीं है।
	13. कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में	नहीं है।
	8. सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे -	नहीं है।
	9. केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये -	नहीं है।
	1. पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	नहीं है।
	2. सड़क की कुल लम्बाई	नहीं है।
	3. पहले बनाई जा चुकी सड़क की कुल लम्बाई	नहीं है।

10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)	नहीं है।
	1. कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	नहीं है।
	2. प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	नहीं है।
	3. वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/ कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	नहीं है।
	4. खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	नहीं है।
	5. खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	नहीं है।
	6. चरणबद्ध सुधार योजना	नहीं है।
	7. जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान	नहीं है।
	8. पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें	नहीं है।
	9. नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या	नहीं है।
	10. निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल	नहीं है।
	क. खनन -	नहीं है।
	ख. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन -	नहीं है।
	ग. अधिभार को जमा करना -	नहीं है।
	घ. औजारों एवं मशीनों का भण्डारन -	नहीं है।
	ङ. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	नहीं है।
	च. शहर, आवास, कालोनियां -	नहीं है।
	छ. सड़क /रेल्वे मार्ग/ रज्जु मार्ग का निर्माण -	नहीं है।
	ज. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	नहीं है।
	11. परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/ स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं	आवश्यक नहीं है।
	12. खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	आवश्यक नहीं है।
	13. बारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दूरी	आवश्यक नहीं है।
	14. पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया	आवश्यक नहीं है।
	15. भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	आवश्यक नहीं है।
11	लागत लाभ विश्लेषण -	नहीं है।
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये हैं (हां/नहीं)	आवश्यक नहीं है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य	नहीं किया गया है।

	किया गया है, (हां/नहीं) यदि हां तो -	
	1. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे	नहीं है।
	2. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी	नहीं है।
	3. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही	नहीं है।
	4. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है	नहीं।
14	कोई अन्य सूचना -	नहीं है।
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे-	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात् -	
	1. इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	2. क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	3. निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	(क) ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	(ख) आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें - प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये वनभूमि/राजस्व वनभूमि की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।	

(उत्तम कुमार गुप्ता)

भा.व.से.

वनमंडल अधिकारी,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

(खैरतपुर वनमंडल, खैरतपुर)

कंडिका 07 के अनुक्रमांक-02 के 3 की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	भूमि का प्रकार	वनकक्ष/ खसरा क्रमांक	प्रभावित भूमि का रकबा (हे. में)
1	खैरागढ़-	खैरागढ़	संरक्षित वनभूमि	P490 A	1.130
2	छुईखदान-		संरक्षित वनभूमि	P490 B	1.189
3	गंडई		आरक्षित वनभूमि	566	1.553
4			संरक्षित वनभूमि	P569	0.815
वनभूमि का योग -					4.687
1	खैरागढ़-	खैरागढ़	राजस्व वनभूमि	5	0.054
2	छुईखदान-		(बड़े झाड़ का जंगल)	9	0.064
3	गंडई			180	0.031
4				3	0.031
5				266	0.026
6				75	0.002
7				120/1	0.115
8				127	0.012
9				190/6	0.100
10				454	0.017
11				451	0.021
12				987	0.011
13				953	0.015
14				822	0.017
राजस्व वनभूमि का योग -					0.516
कुलयोग -					5.203

(उत्तम कुमार गुप्ता)

भा.व.से.

वनमंडल अधिकारी

वन एवं जल संसाधन विभाग

खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

कंडिका क्रमांक-07 form no.IV S.No. 4-II Details of flora and fauna

Existing in the area

FLORA

(A)	वृक्ष	(TREES)
(B)	झाड़ियां एवं शाक	(Shrubs & Herbs)
(C)	बेलाएं एवं परजीवी	(Climbrers & Parasitis)
(D)	बांस, घास एवं बेलाएं	(Bamboos, Grasses & Sedges)

FAUNA

(A)	वन्य प्राणी	(Animals)
(B)	सरीसृप	(REPTILES)
(C)	पक्षियां	(Birds)

उपरोक्त जानकारी संलग्न है।

(उत्तम कुमार गुप्ता)

भा.व.से.

वन-संरक्षण अधिकारी

वन एवं जल संसाधन विभाग

राज्य वन विभाग, रायपुर

कंडिका क्रमांक-07

Flora Detail

वृक्षों के प्रकार	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम
घास प्रजातियां (चारे योग्य) (निम्न रोह)		
	भुरभुरसी	Eragrostis tenella
	फुलबाहरी	Thysanolaena maxima
	दूब	Cynodon dactylon
	शुक्ला घांस	Heteropogon contortus
घास प्रजातियां (अखाद्य) (निम्न रोह)		
	कुकुर लटकना	NA
	छिंद	Eulali trispicata
झाड़ियां (निम्न रोह)		
	जमरासी	Elaeodendron glaucum
	धवई	Woodfordia floribunda
	घोटिया	NA
	खिरसाली	Nyctanthes arbortristis
	पलास	Butea monosperma
	खैर	Acacia catchu
शीर्ष स्तरीय वन		
	बहेड़ा	Terminalia belerica
	सागौन	Tectona grandis
	मुन्डी, कलमी, क्रेम	Mitragyna parvifolia
	बीजा	Pterocarpus marsupium
	सेमल	Salmalia malabarica
	हर्रा	Terminalia chebula
	सलाई	Boswellia serrata
	मोदे, मोयन, छिंगन, गुपीद	Lannea cormandalica
	धावड़ा	Anogeissus latifolia
	साजा	Terminalia tomentosa
शाक (निम्न रोह)		

	पंवार	Sehima sulcatum
अधः स्तरीय वन	अमलतास	Cassia fistula
	लेण्डिया	Lagerstroemia parviflora
	अचार	Buchnanian lanzan
	हर्रा	Terminalia chebula
	पापड़ा	Garenia latifolia
	भिर्रा	Chloroxylon swietenia
	चार	Buchnanian lanzan
	कर्रा	Cleistanthus collinus
	आंवला	Emblica officinalis
औषधीय / मुख्य लघु वनोपज		
	बहेड़ा	Terminalia belerica
	हर्रा	Terminalia chebula
	महुआ	Madhuca indica
	तेंदू	Diospyros melanoxylon
लताएं (निम्न रोह)		
	केवटी	NA
	बोदल	NA
	दूधी, चिरोल	Holoptelia integrifolia
	भांदर, बेला	Colebrookia oppositifolia

(उत्तम कुमार गुप्ता)

भा.व.से.

वन-मंडल अधिकारी

वन एवं जल संसाधन विभाग

राज्य वन विभाग, रायपुर

Fauna Detail

क्र.	वन्य प्राणी/पक्षी का नाम	वैज्ञानिक नाम
1	लंगूर	Presbytis entellus
2	बन्दर	Macaca mulatta
3	लकड़ बग्गा	Hyaena hyaena
4	नेवला	Herpestes edwardsi
5	गीदड़/सियार	Canis aureus
6	लोमड़ी	Vulpes bengalensis
7	गिलहरी	Funambulus pennanti
8	चूहा	Bandicota bengalensis
9	साही	Hystrix indica
10	खरगोश	Lepus nigricollis
11	सूअर	Sus scrofa
12	कोटरी, भड़की	Muntiacus muntjak
13	काला तीतर	Francolinus franco-linus
14	बटेर	Coturnix coturnix
15	जंगली मुर्गी	Gallus gallus
16	तोता	Psittacula eupatria
17	कोयल	Eudynamys scolopacea
18	मैना	Aeridotheres tristis

(उत्तम कुमार गुप्ता)

भा.व.से.

वन्य जीव संरक्षण अधिकारी

वन एवं जल संसाधन विभाग

खैराबाद, जिला खैराबाद